

03
11-05 AM
10-11-2020

प्ररूप 2इ
(नियम 4 देखिये)

नाम निर्देशन-पत्र

इलाहाबाद-झौंसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

परिषद निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के लिये निर्वाचन



भाग-1

हम उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के निर्वाचन के लिये इलाहाबाद-झौंसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अप्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशन करते हैं।

अप्यर्थी का नाम रमेश-चन्द्र दुबे

(पिता/पुत्रा/पुत्री का नाम) श्री कृष्णशंकर दुबे

उसका डाक पता मुहल्ला सिन्धी-नाका/गोदियानाका, खोटी बाजार, शहर कोटा

उसका नाम 235-कोटा विधान सभा/निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 114

में क्रम संख्या 803 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम इलाहाबाद-झौंसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली संख्या		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6
1	76	134	रामपाल	<i>[Signature]</i>	10/11/2020
2	79	118	केलाश-चन्द्र दुबे	<i>[Signature]</i>	10/11/2020
3	79	291	संदीप कुमार जैसि	<i>[Signature]</i>	10/11/2020
4	77	290	कृष्णगोपाल पुरिया	<i>[Signature]</i>	10/11/2020
5	79	351	सुधीर कुमार दुबे	<i>[Signature]</i>	10/11/2020
6	79	125	देवत प्रसाद गुप्त	<i>[Signature]</i>	10/11/2020
7	79	387	विनय कुमार जैसि	<i>[Signature]</i>	10/11/2020
8	84	1080	शशिकान्त तिवारी	<i>[Signature]</i>	10/11/2020
9	79	272	रविशंकर पुरिया	<i>[Signature]</i>	10/11/2020
10	77	54	अनाद शुकला	<i>[Signature]</i>	10/11/2020

* प्रस्थापक निर्वाचन क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है,
- (ख) मैंने64..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है,
- (ग) मैं इस निर्वाचन मेंनिर्दलीय..... दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ
- (घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पुत्रता/प्रति का नाम ऊपरहिन्दी..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और
- (ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं, इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिये चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 10-11-2020

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग-2
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है, या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित
किया गया है।

हाँ/नहीं ✓

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक X शु-प
- (ii) पुलिस थाना (थाने) X शु-प जिला (जिले) शु-प राज्य शु-प
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारार) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त
विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था शु-प
- (iv) दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें) शु-प
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था शु-प
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें X
शु-प
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) शु-प
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गये
थे : हाँ/नहीं ✓ शु-प
- (ix) फाइल की गयी अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ एवं तारीख शु-प
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) साक्ष्य अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण
आवेदन फाइल किए गये थे शु-प
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे
लंबित हैं शु-प
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शु-प
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) शु-प

भाग-3

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 03

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय न्यायालय कक्ष, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी में 10.11.2020
..... (तारीख) को 11-05AM (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक रमेश चन्द्र दुबे
..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 10.11.2020


रिटनिंग आफिसर

भाग-4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 38 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :—

तारीख

रिटनिंग आफिसर







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FT 651545

समक्ष रिटनिंग ऑफिसर / आयुक्त, भौसी मण्डल, भौसी ।
बलाह्वान-भौसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विद्या परिषद
के निर्वाचन के लिये रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-
निर्दिष्ट-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला द्वापत्र-पत्र :-



[Handwritten signature]



क्रमांक 1236 दि

07-11-2020

स्टाम्प क्रय करने व। प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम श्री रमेशचंद्र गुप्ता
पुत्र श्री रमेश चंद्र गुप्ता
पूरा पता/निवासी र. १०, गुरु बाग, बोंदा
स्टाम्प की धराशक्ति 100/-

जितेन्द्र कुमार गुप्ता (स्टाम्प विक्रेता)
कस्तूरट, बोंदा
भा.नं० 28 बोंदा वर्ष 2003 तक अवधि 201 तक

प्रारूप-26
(नियम 4क देखिये)



10.11.2015

इलाहाबाद झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
उत्तर प्रदेश विधान परिषद (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

B.D. Dhuriya
Notary/Advocate
BANDA (U.P.)

भाग-क

मैं रमेशचन्द्र दुबे पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व० श्री ऋषिराम दुबे आयु 64वर्ष जो मुहल्ला खिन्नीनाका/मढियानाका, छोटीबाजार शहर बौदा का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ :-

- (1) मैं रमेशचन्द्र दुबे "एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
("जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 235-बौदा विधानसभा राज्य उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं-114 के क्रम संख्या 943 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे 9452850588 / 8948996984 सम्पर्क दूरभाष संख्या/संख्यायें है/हैं और ...
dubeyrameshchandra288@gmail.com.... मेरा ईमेल (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।
 - (i) फेसबुक.....
 - (ii) व्हाटसएप.....
 - (iii)

(4) स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय-कर विवरणीय फाइल करने की प्रस्थिति:


क्र०सं०	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिये अन्तिम आयकर विवरणीय फाइल की गयी है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिये आयकर विवरणीय में दर्शित कुल आय (रुपये में)
1	रमेशचन्द्र दुबे	BBHPR 4329A	2016-17	Rs. 19,21,700 (i)
			2017-18	Rs. 3,90,942 (ii)
			2018-19	लागू नहीं (iii)
			2019-20	लागू नहीं (iv)
			2020-21	लागू नहीं (v)



10/11/2015

2	पति या पत्नी		2016-17	लागू नहीं (i)
	श्रीमती रागनी दुबे	CROPD0459H	2017-18	लागू नहीं (ii)
			2018-19	लागू नहीं (iii)
			2019-20	लागू नहीं (iv)
			2020-21	लागू नहीं (v)
3	हिन्द अविभक्त कुटुम्ब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू नहीं	2016-17	लागू नहीं (i)
			2017-18	लागू नहीं (ii)
			2018-19	लागू नहीं (iii)
			2019-20	लागू नहीं (iv)
			2020-21	लागू नहीं (v)
4	अश्रित -1		2016-17	लागू नहीं (i)
	प्रत्युष दुबे (पुत्र)		2017-18	शून्य (ii)
			2018-19	शून्य (iii)
			2019-20	शून्य (iv)
			2020-21	शून्य (v)
5	अश्रित - 2		2016-17	शून्य (i)
	प्रत्यक्ष दुबे (पुत्र)		2017-18	शून्य (ii)
			2018-19	शून्य (iii)
			2019-20	शून्य (iv)
			2020-21	शून्य (v)
5	अश्रित - 3		2016-17	शून्य (i)
	लागू नहीं		2017-18	शून्य (ii)
			2018-19	शून्य (iii)
			2019-20	शून्य (iv)
			2020-21	शून्य (v)

टिप्पण : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिये स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।



(5) लम्बित अपराधिक मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तो इस विकल्प को चिह्नित करें और नीचे विकल्प के सामने लागू नहीं होता है लिखें)
या
- (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लम्बित हैं:
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लम्बित हैं तो इस विकल्प चिह्नित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लम्बित मामलों का ब्यौरा दें।)

सारणी

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाने का नाम और पते के साथ प्रथम इतिला रिपोर्ट सं.	जिला राबर्टगंज जिला सोनभद्र (उ०प्र०) वर्ष 736 / 2008	थाना चौपन, जिला सोनभद्र (उ०प्र०) 437 / 2008	
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	न्यायालय सोनभद्र सोनभद्र (उ०प्र०) वाफ नं०-3614/2018		
(ग)	अंतर्वलित सम्बद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात भारतीय दण्ड संहिता आदि की धारा)	468, 469, 471, 472	409 I.P.C.	
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	विभागीय प्रकरण		
(ङ)	क्या आरोप विपरीत किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं	नहीं	
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं	लागू नहीं	
(छ)	क्या कार्यवाही के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिये आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	

(6) दोषसिद्ध के मामले :-

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं किया गया है। (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिह्नित करें और नीचे विकल्प (i) के सामने लागू नहीं होता है लिखें) लागू नहीं

या



(ii)

मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है: लागू नहीं (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो हइस विकल्प को चिन्हांकित करें, और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गयी सारणी में ब्यौरा दें)

सारणी

(क)	ममला संख्यांक	लागू नहीं।		
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं।		
(ग)	अंतर्वलित सम्बद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता आदि की धारा)	लागू नहीं।		
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं।		
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं।		
(च)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं।		
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गयी है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं।		
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है तो अपील के ब्यौरे दें तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	लागू नहीं।		

(6क)

मैंने ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) के दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लम्बित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है। लागू नहीं

(ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए)



h

टिप्पण:

1. ब्यौरें स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरें पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यौरें विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की अस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरें नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरें :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरें दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सेन्जों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से सम्बन्धित कोई अन्य, व्यक्ति चाहें वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा अभिप्रेत है(हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवन यापन के लिये अभ्यर्थियों पर आश्रित है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरें प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

टिप्पण 6 – ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण – इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद में विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरें और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरें अभिप्रेत हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	30000	20000	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं



(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिरामें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकवारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	बचत खाता, सेन्ट्रल बैंक, बॉदा 3,57,750 + बचत खाता बैंक औफ बडौदा, बलरामपुर 55,312 सावाधि 40,000 एसबी डाकघर 26,000	बचत खाता, आर्यव्रत बैंक 3,00,000	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों डिबेचरो/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	एनएससी, 1,02,000 बचत पत्र (टीडीआर) 1,10,000 एलआईसी 1,50,000+50,000	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिरामें फार्म, कम्पनी, न्याय आदि को को दिये गये वैयक्त ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(vi)	मोटरवाहन/वायुयान/यांच/पोत/(मेक,रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	यूपी47एन1025 (चार पहिया) 3,00,000 वर्ष 2016	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(vii)	ज्वरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोना 25 ग्राम कीमत रु 1,25,000	सोना 200 ग्राम कीमत रु 10,00,000 + 35,000	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	जीआईएस 80,000	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	13,76,032	13,55,000	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं




ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 – ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी.	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि, भूमि की अनुस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	57 412 (संख्याएं)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	लगभग 7 एकड़	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	हां	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	लगभग 48,00,000	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थित (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं



	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(iii)	वाणिज्यक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितता) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितता) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	मुहल्ला- खिन्नीनाका, मढियानाका, शहर बॉदा स्थित दो भवन	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	1.1800 वर्ग फीट 2.600 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं बोटा	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	1,80,00,000	शून्य	शून्य	लागू नहीं




	मूल्य			2-30,00,000			
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(vi)	पूर्वाक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	48,00,000 रुप में	1,58,00,000 रुप में	शून्य	शून्य	लागू नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शौध्यों के ब्यौरें नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य		लागू नहीं	शिक्षा ऋण 04 लाख रुपये	शून्य	लागू नहीं
	पूर्वाक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्ति/को निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य		लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	शून्य		लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	शून्य		लागू नहीं	रुपये 04 लाख	शून्य	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास में सम्बन्धित विभागों को शोध्य		क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध करायेग ये आवासके अधिभोग में है। ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात :- 1. सरकारी आवास का पता : 2. उपरोक्त सरकारी आवास के सम्बन्ध में निम्नलिखित के मददे कोई शोध्य संदेय नहीं है-				हां/ नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाए) लागू नहीं



		(क) भाटक : (ख) विद्युत प्रभार : (ग) जल प्रभार : (घ) (तारीख) को टेलीफोन प्रभार (तारीख से उस मास से जिसमें निर्वाचन अधिसूचित) किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख होनी चाहिए) या उसके पश्चात की कोई तारीख होनी चाहिए। टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार जल प्रभार, और टेलीफोन प्रभार, की बावत, सम्बन्धित अभिकरणों का "बैवाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।						लागू नहीं
(iii)	सरकारी परिवहन से सम्बन्धित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)							लागू नहीं
		स्वयं	पति/पत्नी	हिन्दु अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
(iv)	आयकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(v)	जीएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vi)	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vii)	कोई अन्य शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अतर्वर्तित रकम का और प्राधिकारी का जिसके समक्ष यह लम्बित है, उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं सरकारी पेंशन प्रति माह 35,861=00

(ख) पति या पत्नी कृषि आय लगभग वार्षिक 35,000=00

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरों :

(क) स्वयं ~~स्वयं~~ पेंशन प्रतिमाह 35,861 = 00

(ख) पति या पत्नी कृषि आय लगभग 35,000.



- (ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों... शून्य
- (9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएँ -
- (क) अभ्यर्थी द्वारा की गयी संविदाओं के ब्यौरेशून्य.....
- (ख) पति या पत्नी द्वारा की गयी संविदाओं के ब्यौरेशून्य.....
- (ग) आश्रितों द्वारा की गयी संविदाओं के ब्यौरेशून्य.....
- (घ) हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या इसका पति या पत्नी या आश्रित हिबद्ध है, द्वारा की गयी संविदाओं के ब्यौरेशून्य.....
- (ङ) भागीदारी फर्मा द्वारा की गयी संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैशून्य.....
- (घ) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गयी संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा हैशून्य.....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए गए अनुसार है :-

..कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर स्नातक वर्ष 1977 अनुक्रमांक 5169 Bsc II year.....

..कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर परास्नातक वर्ष 1980 अनुक्रमांक 930 Msc Final year.....

..लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विधिस्नातक वर्ष 1990 अनुक्रमांक 24632 LLB Final year.....


(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शुभ रमेशचन्द्र दुबे					
2	डाक का पूरा पता	मुहल्ला-खिन्नीनाका/मढियानाका, छोटीबाजार, शहर बाँदा (उ0प्र)					
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	235-बाँदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उ0प्र0)					
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	निर्दलीय					
5	लम्बित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	02					
6	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।	शून्य					
7		स्थायी लेखा सं. (पैन)	यह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणों फाइल की गई है			कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	मेक BHPP 4329A	वर्ष 2016-17			192170000	
	(ख) पति या पत्नी	KRDP 0459H	शून्य			शून्य	
	(ग) हिन्दु अविभक्त	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	
	(घ) आश्रित		शून्य			शून्य	
8	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियां सहित) के रूपों में ब्यौरें						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	जंगम आस्तियों (कुल मूल्य)	13,76,032	13,55,000	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(ख)	स्थावर अस्तियां	शून्य	शून्य	1,10,00,000	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	1. स्वार्जित सीवर सम्पत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	2. क्रय के पश्चात सीवर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	3. अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व						



	1. सरकारी शोध्य (कुल)	सरकारी पेंशन प्रतिमाह रुपये 35,861=00	कृषि आय वार्षिक रुपया 35,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2. बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शिक्षा ऋण रु 04 लाख	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है-						
	1. सरकारी शोध्य (कुल)	जीआईएस 80,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2. बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	<p>उच्चतम शैक्षणिक आईला :</p> <p>..कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर स्नातक वर्ष 1977 अनुक्रमांक 5169 Bsc II year.....</p> <p>..कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर परास्नातक वर्ष 1980 अनुक्रमांक 930 Msc Final year.....</p> <p>..लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विधिस्नातक वर्ष 1990 अनुक्रमांक 24632 LLB Final year.....</p> <p>(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री/ पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें।)</p>						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इस से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है :

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 09/11/2020 को सत्यापित किया गया।

मैं श्री रमेश चंद्र पुत्र श्री स्वामी जगदीश चंद्र, निवासी
 गुरुल्ला खित्रीनाका, गलियामादा, बेलीकमारा, नगरपालिका का
 को भागीदार जनता व पहचानता हूँ। इन्होंने मेरे सबस
 हस्ताक्षर कराये हैं।
 9/11/20
 सत्यापित/नोटरी



2
 (रमेश चन्द्र बुबा)
 सहायिता
 09/11/20
 850/106A



Affidavit
 we take here on 10-11
 when the contents of the above document were read
 over and explained to me and I have understood the same
 Personally known to me as a regular registrar
 at Serial No. 05... 205-206... 35/-
 Dated 09-11-2020

B. D. Dauriya
 Notary, -Bauda

